निबंधन संख्या पी0टी0-40



## जट साधारण अंक

## सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार

12 अग्रहायण 1940 (श0)

(सं0 पटना 1017) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2018

संसदीय कार्य विमाग

## अधिसचना

## 26 नवम्बर 2018

सं० सं०का0—1/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05—06/2017—793—विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0--16, 2006) (समय--समय पर यथा संशोधित) की घारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली

विहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम और आरंम।- (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेंगी।

(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली. 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/— (तीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/— (चालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन ।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/— (पेंतालीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/— (पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन I- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000 /— (दस लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000 /— (पन्द्रह लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन !-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6,000/— (छ: हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/— (दस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

 उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन !- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं वारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20,000/— (बीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/— (तीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. जक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन (– उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,00,000/– (दो लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,00,000/– (तीन लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन |- जक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "28,000/- (अठाईस हजार) रूपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000=00/- (छः हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "7,000/- (सात हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। 9. जक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन।- जक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन |- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रूपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,000/- (दो हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन |- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंथित में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,00,000/- (एक लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

> विहार--राज्यपाल के आदेश से, राजेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1017–571+1000–डी0टी0पी0। Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>